



भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो,  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, रायपुर  
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,  
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)  
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590/95 ई-मेल: [ro.raipur@ibm.gov.in](mailto:ro.raipur@ibm.gov.in)



File no- CHG/DRG/LST-19/RPR /465-

MINE CODE 38MPR13022

दिनांक - 22.02.2023

✓ प्रेषिति,

श्री संजय कुमार साऊ, नामित खान मालिक  
सर्वश्री रूपरेला ब्रदर्स,  
मकान न.74/k, कोहका,  
रामनगर, भिलाई, जिला-दुर्ग  
छत्तीसगढ़-490023  
E-mail- [stc9044@gmail.com](mailto:stc9044@gmail.com)

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य के ग्राम - साहेगाँव, तहसील - धमदा, और जिला - दुर्ग, में स्थित आपकी साहेगाँव चूना पत्थर खान (Sahegaon Limestone Mine), क्षेत्रफल 4.047 ha में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में-


महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 17.01.2023 को श्री सौमाल्या रॉय, सहायक खनन अभियंता द्वारा श्री राजू कुमार ठंडी, खनन अभियंता की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का ब्यौरा
Rule 26(2)	The holder of mining lease shall submit to the competent authority a yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1 <sup>st</sup> day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out as envisaged in the approved mine closure plan, and if there is any deviation, reason thereof, but the same not submitted for the year 2020-21 & 2021-22 till date.

- इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अंतर्गत आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2)) के अंतर्गत खान की सारी खनन संक्रियाएँ बंद की जा सकती है।
- अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशिघ्र सुधार करें एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भितर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

  
22.02.23

(दयानन्द उपाध्याय)  
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि- सूचनार्थ

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर 440001 -  
[Email-com.cz@ibm.gov.in](mailto:Email-com.cz@ibm.gov.in)
2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

(दयानन्द उपाध्याय )  
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर